272

प्र/निग0/रीवा/2018/01903

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

रामखेलावन पटेल तनय राम विशाल पटेल उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम देवरा तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

———निगरानीकर्ता

बनाम

1— रावेन्द्र कुमार पटेल तनय श्रीरामनारायण पटेल. निवासी ग्राम देवरा तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0

2— म0प्र0 शासन

———गैरनिगरानीकर्ता

अधि0 श्री पवन पटेल द्वारा पेश। 21.3.18

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 25/07/ 2011 प्रकरण क0 20अ — 12/2010—11 नायब तहसीलदार खटखरी हनुमना जिला रीवा म0प्र0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

मामले के संक्षिप्त कथन निम्ननुसार है।

01— यह कि निगरानीकर्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क0 20 अ—12/2010—11 आदेश दिनांक 25/07/2011 रामखेलावन बनाम रावेन्द्र के प्रकरण में न्यायालय अपर कलेक्टर मऊगंज जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी।

02— यह कि निगरानीकर्त आराजी खसरा नं0 136/1, 137/1, 138,140,146, 106/2ख एवं 139 स्थित ग्राम देवरा तहसील हनुमना जिला रीवा के सम्बन्ध में गैरनिगराकार द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पर अधीनस्थ तहसील न्यायायल द्वारा सरहद्दी कास्तकारों को सूचना दिये बगैर सीमांकन की पुष्टि

रामखेलावन

272

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 01903 जिला–रीवा

रामखेलावन पटेल / रावेन्द्र कुमार पटेल

(1)	(2)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री पवन पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, खटखरी, तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 20 / अ–12 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25.07.11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

NF 16.2.19